of industrialists in India and MNCs whether this MRTPC is going to be merged, whether it is still functioning, what is happening to the expenditure which is being incurred on this MRTPC and things like that. Maybe, there was a court case. But I don't think, the court has ever said that 'don't function'. The functioning of the Competition Commission has not been stopped by the court. Somebody might have raised some issues. But till the order is passed by the court, the Competition Commission should be allowed to function. So what I would like to know from the hon. Minister is, that to make it functional, we should not delay it any more. Even if the consultation is going on, we want our colleague to give us a timeframe by which this Commission will start functioning, what will happen to the officers already appointed, how quickly will the other officers be appointed, how quickly trained people will be taken into it and what kind of training will be given.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, when the MRTP Act was passed, the national and international priorities were different. Today, the entire economic scenario has changed. The MRTP Commission mainly curbed monopolies, concentration of wealth in certain hands, whereas, the Competition Commission is supposed to encourage competition, a free and healthy competition and curb all those things which become a hindrance to a fair competition. Sir, there is no intention of the Government to delay the constitution or the functioning of the Competition Commission in a free and fair manner. The inter-ministerial consultations are going on, and although it is very difficult to give a definite timeframe, but we feel that the issue would be resolved very soon.

Subsidy on kerosene

*83. SHRI VIJAY J. DARDA:†
SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oil Marketing Companies subsidized PDS kerosene by about Rs. 12 per litre and combined with subsidies on domestic LPG, the expenditure was about Rs. 18000 crore in 2004-2005;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Vijay J. Darda.

(b) if so, whether this subsidized PDS kerosene was given to only targeted consumers or there was siphoning of this commodity to non-household users; and

(c) in what manner the Oil Marketing Companies propose to subsidize as the kerosene demand is expected to increase by one percent annually and what is the estimated amount of subsidy every year?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) During the year 2004-05, the public sector oil companies have absorbed under-recoveries of the order of Rs. 7.96/litre on the sale of PDS kerosene. In addition, the Government provided for subsidy of Rs. 0.82/litre from the fiscal budget.

At the time of announcement of the dismantling of Administered Pricing Mechanism (APM) effective 1st April, 2002, it was announced that the Government subsidy on PDS kerosene would be on a flat rate basis and provided from the fiscal budget. It was also announced that after providing for the Government subsidy, retail prices were to vary as per changes in international prices.

But notwithstanding the steep rise in international prices of SKO & PLG, oil marketing companies (OMCs) have not been able to revise the price of PDS kerosene since April 2002 and that of domestic LPG since November 2004. In consequence, they have suffered under-recoveries to the tune of Rs. 17,842 crore on sale of these products during the year 2004-05.

(b) and (c) With a view to assessing the genuine demand for kerosene in different States/UTs, the Government commissioned a comprehensive study through the National Council of Applied Research (NCAER) in December, 2004. NCAER have submitted their report in October, 2005. The study estimates siphoning off of kerosene from PDS to non-household use as 18.1 per cent of the total sale of PDS kerosene in the country. The report also *inter alia* recommends that taking out APL card holders from the purview of subsidies would amount to savings of 41.2% on the current kerosene subsidy.

In order to check the black marketing of Public Distribution System (PDS) kerosene, the Central Government have made provision in the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, issued under the Essential Commodities Act, 1955, that dealers cannot sell PDS kerosene at a price higher than the price fixed by the Government or Oil Marketing Companies (OMCs) and that the PDS kerosene dealers should prominently display stock-cum-price board at the place of business including the place of store on conspicuous place. State Governments undertake the distribution of PDS kerosene through their PDS network. It is also their duty to implement the Control Orders issued by the Central Government under the Essential Commodities Act, 1955.

With a view to strengthening the kerosene distribution system so that PDS kerosene is made available to the consumers at the right price and diversion is checked, the Government have also launched the "Jan Kerosene Pariyojana" as a pilot project in 420 blocks in the country effective 2nd October, 2005. The project involves strengthening the system of transporting kerosene from OMC depots to PDS fair price shops, the distribution infrastructure at the block and sub-block levels, and the involvement of Panchayati Raj Institutions and Gram Sabhas in monitoring the distribution of PDS kerosene.

During 2005-06, through the fiscal budget, Government have provided Rs. 3,600 crore as subsidies on PDS kerosene and deomestic LPG.

श्री विजय जे॰ दर्डा: सर, मेरा प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लागू नयी परियोजना से संबंधित है। सर, मिट्टी का तेल वितरित करने के लिए सरकार ने जो नयी परियोजना लागू की है, उस में ग्राम पंचायत व ग्राम सभाओं को भी जिम्मेदारी दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के तहत ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायतों की सहभागिता किस स्तर पर होगी तथा पंचायतें यह कैसे सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें जो तेल दिया जा रहा है, वह शुद्ध मिल रहा है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, इस सवाल के अन्तर्गत बहुत से सवाल पूछे गए हैं और मैं सारे सवालों का ही जवाब देने की कोशिश करता हूं। हमने अभी-अभी एक नई परियोजना शुरु की है, जिसे हम ''जन कैरोसीन परियोजना'' कहते हैं। हमने इस योजना के अन्तर्गत कोशिश की है कि इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तकरीबन 5 लाख जो पी॰डी॰एस॰ फेयर प्राइस शॉप्स स्थापित किए गए हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्यगण की तरफ से एक समिति बैठाकर देखें कि यह कैसे चल रहा है। फेसर प्राइस शॉप्स की जो राशन दुकानें हैं, वे एक किस्म से इस चेन की अन्तिम कड़ी हैं। हमें यह देखना चाहिए कि

जो तेल कम्पनी के डिपो से निकलकर होल सेल डीलर तक पहुंचता है और वहां से आगे राशन दुकानों तक पहुंचता है, उसमें किस प्रकार का सुधार लाया जा सकता है।

हमने इस जन कैरोसीन परियोजना में सबसे पहले यह तय किया है कि जो टैंकर ट्रक्स डिपो से निकलते हैं, उन पर एक खास किस्म का पेन्ट और लोगो लगाया जाए जिससे लोगों को पता लगे कि यह जन कैरोसीन के लिए है और किसी दूसरे काम के लिए नहीं है । यदि वह कहीं गलत स्थान पर लगा हुआ हो तो कानून-व्यवस्था के लिए जो अधिकारी हैं, उनको उसे वहीं मौके पर पकड़ लेना चाहिए। हम रफ्ता-रफ्ता यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हर टैंकर ट्रक पर एक जी॰ पी॰ एस॰, जिसका मतलब है-जियो पोजीशनिंग सिस्टम, उसकी एक मशीन लगायी जाए ताकि डिपो में कम्प्यूटर पर हम देख सकें कि जो ट्रक तेल वाले डिपो तक पहुंचने के लिए निकला है, वह सीधे वहीं जा रहा है या रास्ते में कहीं रुक रहा है।

हमने यह भी इंतजाम किया है कि जो मध्य स्तर की पंचायत होती है, जिसे हम कुछ राज्यों में क्षेत्र समिति कहते हैं और कहीं पंचायत समिति कहते हैं, उससे अनुरोध किया जाए कि वे किसी को नियुक्त करें कि जिस वक्त यह कैरोसीन तेल ब्लॉक के स्तर पर वहां के होल सेल डिपो में पहुंचता है तब वे भी वहां यह देखने के लिए मौजूद हों कि उस ट्रक के अंदर जितना कैरोसीन होना चाहिए, वह पूरा उपलब्ध है या नहीं।

हमने यह भी कहा कि हमारे ही खर्चे पर, मतलब ओ॰ आई॰ डी॰ बी॰ के खर्चे पर, जिस पर हम तेल कम्पनियों को देते हैं, वही सुविधाएं हम कैरोसीन वितरण के लिए उपलब्ध करें, जो ये तेल कम्पनियां अपने ही खर्चे में पेट्रोल और डीजल के लिए रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध कराती हैं।

मात्र दो, एक तो स्टोरेज टैंक हो ताकि यह न हो कि कैरोसीन तेल वहां पहुंचे और खुदा जाने कि वह कहां चला गया, वह उस स्टोरेज टैंक में होगा। दूसरा हम उसके साथ एक डिस्पेंसिंग यूनिट लगा रहे हैं जो कि कैलिब्रेटेड है।... (व्यवधान)... I am sorry, Mr. Narayanasamy, but I have to make the reply in Hindi ....*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: If you so wish, you could tell me in Tamil.

SHRI N. JOTHI: Sir, he is making a long speech ... *(Interruptions)*...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: At the dispensing unit, because we have calibration, it will become a matter of public knowledge as to how much was stored and how much has been dispensed, and, therefore, how much should be available at any given point of time for an inspection in the storage tank.उसके पश्चात् कुछ राज्यों में sub-wholesalers को नियुक्त किया जाता है। कुछ राज्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया। हम इसको रफ्ता-रफ्ता दुरुस्त करेंगे। जब यह कैरोसीन तेल राशन दुकानों तक पहुंच जाता है तो वहां हमने कुछ खुसुसी barrels तैयार कर रखे हैं जिसमें

कि आम जनता आकर खुद यह देख पाए कि तेल है या नहीं। तेल हो तो तब और तेल उनको उपलब्ध न हो तो शिकायत करे। हमने पंचायती राज संस्थानों के द्वारा Grievance Redressal machinery तय किया है। अब यह नई परियोजना गांधी-जयंती, 2 अक्तूबर को शुरु की गई थी कैबिनेट ने हमें मात्र 10 प्रतिशत ब्लॉक दिए। इसे शुरु करने की इजाजत दी और देख रहे हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ाना है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: सुनिए, सुनिए।... **(व्यवधान)**... यह अच्छा तरीका है। सप्लीमेंटरी एवायड करनी हो, तो main question का जवाब देने में देरी कर दो।

श्री विजय जे॰ दर्डा: सभापति जी, मंत्री जी की कार्य-प्रणाली और क्षमता से पूरा देश वाकिफ है। हर चीज में आप गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं और जनता को कैसे लाभ मिलेगा इस का प्रयास करते हैं, आप इस महकमे में बैठे हैं, मगर आपके होने के बावजूद भी मिट्टी के तेल की काला-बाजारी हो रही है, उसमें मिलावट हो रही है। पेट्रोल पंपों से शुरु होकर सार्वजनिक प्रणाली तक, गांवों और दुकानों तक इसे जाने में कितने ही रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि आपके NCAER, नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने भी इसके बारे में कहा है कि करीब करीब 40 से 50 प्रतिशत तक यह वहां तक नहीं पहुंचता है। आपके पकड़ने की बात कही है, तो क्या उसको सिर्फ आफीसर लोग ही पकड़ सकेंगे या सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कोई व्यक्ति भी उसको पकड़ सकता है? दूसरा, जैसे पंजाब, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तरांचल, बिहार, चंडीगढ़, झारखंड और उड़ीसा से लगातार अत्यधिक मिलावट की खबरें आ रही हैं।... **(व्यवधान)**... मैं आपसे यह दरख्वास्त करुंगा कि आपकी क्षमता के बावजूद भी, हर व्यक्ति आज जानता है, किस ढंग से यह हो रहा है या किस ढंग से माफिया आपरेटर कर रहे हैं। ... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है, आपने पूछ लिया अपना क्वैश्चन। बोलिए मंत्री जी। आपके उत्तर में मिलावट नहीं होनी चाहिए।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I am grateful for the opportunity to bring to the attention of the House in NCAER Study which was formally presented to me only about a month ago and which has, for the first time ever, provided a scientific basis to apprehensions, concerns, that have been expressed for a very long time. The first point that I wish to make with respect to the Study is that it has shown that of the people who know about the scheme among the BPL cardholders—and that figure is about 85 per cent—nearly 90 per cent are collecting their entire entitlement of kerosene. Now, that is an astonishing finding for me. At the same time, the Study reveals that there is 18.1 per cent diversion to adulteration and another nearly 20 per cent diversion which is taking place from the PDS to

the open market for sale back to household use but at market prices. So, these are two separate problems. It used to be said that about half of kerosene is being diverted for adulteration. This Study does not confirm that. The adulteration element is just little under 20 per cent. That is one very encouraging factor. But, where does it come from? It would appear, this is my rough conclusion, that while the BPL cardholders are, to a very large extent, collecting their entitlement, except to the extent they are not aware of it, which is close to 22 per cent of the BPL cardholders and for whom we have to have an awareness programme, when it comes to the APL cardholders that is where the diversion is from it would appear, to the open market where re-sale is taking place. Also, a disproportionately large amount of the kerosene which we allot to the States is being allotted by the States to the urban areas rather than the rural areas, and the diversion for mixing and adulteration seems to be much more from the urban areas than from the rural areas... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Kindly be brief.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: All this has serious implications for future policy. So, we brought all this to the attention of the State Governments and we are continuing our dialogue with them. And it is only thereafter that we will make appropriate changes.

श्रीमती मोहसिना किदवई: मान्यवर, मेरा पहला सवाल तो मंत्री जी से यह है, जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि यह National Council of Applied Economic Research ने जो रिपोर्ट दी है, वह यह है कि 18.1 परसैंट ऐडल्ट्रेशन की तरफ जा रहा है, जबकि जितनी बाकी स्टेट्स से रिपोर्ट हैं, उनके अनुसार इससे कहीं ज्यादा ऐडल्ट्रेशन हो रहा है, 18.1 परसैंट से कहीं ज्यादा।

दूसरी बात, जो अभी मंत्री ने कहीं कि इसमें जो APL के कार्ड होल्डर्स हैं, अगर उनको विदड्रा कर लिया जाए तो इससे 41.2 परसैंट सबसिडी बचेगी, यह भी रिकमेंडेशन National Council of Applied Economic Research की है। इसमें सवाल सबसिडी बचाने का नहीं है, जो इसमें कहा गया है कि इससे 41.2 परसैंट सबसिडी बचेगी। सबसिडी बचाने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो लोग इसके मुस्तहिक हैं कि जो Essencial Commodities Act, 1955 पास किया गया था, उसके तहत गरीबों को सही दामों पर केरसीन और उनकी जरूरत का दूसरा सामान मिल सके। सवाल यह है कि क्या आप श्योर हैं कि अगर 41.2 परसैंट सबसिडी वाले APL कार्ड होल्डर्स को निकाल दिया जाए तो केरसीन से ऐडल्ट्रेशन चला जाएगा? मैं समझती हूं कि यह रिकमेंडेशन मुनासिब नहीं है।

मंत्री जी ने दूसरी बात कही, नम्बर तो कुछ ऐसा ही है, इन्होंने 420 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें वे अपनी परियोजना का प्रदर्शन करेंगे, जो गांधी जयंती पर शुरु हुई है, मैं जानना चाहती हूं कि वे इसको किस तरह से करेंगे क्योंकि मैं समझती हूं कि अभी इन्होंने उसका पूरा प्लान नहीं किया है? तो किस तरह से वे पंचायतों को तथा और लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी एजेंसीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा और करप्शन बढ़ने के चांसिज़ हैं आज के ज़माने में।

†[محترمہ محسنہ قدوائی : مانیور، میرا پہلا سوال تو منتری جی سے یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی کہا کہ National Council of Applied Economic Research نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ 18.1% ایڈلٹریشن کی طرف جا رہا ہے، جبکہ جتنی باقی اِسٹیٹس سے رپورٹ ہیں، ان کے مطابق اس سے کہیں زیادہ ایڈلٹریشن ہو رہا ہے، 18.1% سے کہیں زیادہ۔]

†[دوسری بات، جو ابھی منتری جی نے کہی کہ اس میں جو اے. پی.ایل. کے کارڈ ہولڈرس ہیں، اگر ان کو وِدڈرا کر لیا جائے تو اس سے 41.2% سبسڈی بچے گی، یہ بھی ریکمنڈیشن National Council of Applied Economic Research کی ہے۔ اس میں سوال سبسڈی بچانے کا نہیں ہے، جو اس میں کہا گیا ہے کہ اس سے 41.2 % سبسڈی بچے گی۔ سبسڈی بچانے کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس کے مستحق ہیں کہ جو Essential Commodities Act, 1995 پاس کیا گیا تھا، اس کے تحت غریبوں کو صحیح داموں پر کیروسین اور انکی ضرورت کا دوسرا سامان مل سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ شیور ہیں کہ اگر 41.2% سبسڈی والے اے. پی.ایل. کارڈ ہولڈرس کو نکال دیا جائے تو کیروسین سے ایڈلٹریشن چلا جائے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریکمنڈیشن مناسب نہیں ہے۔

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

منتری جی نے دوسری بات کہی، نمبر تو کچھ ایسا ہی ہے، انہوں 420 بلاکس آئیڈینٹفائی کئے ہیں، جن میں وہ اپنی پریوجنا کا پردرشن کریں گے، جو گاندھی جینتی پر شروع ہوئی ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ اس کو کس طرح سے کریں گے کیوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی انہوں نے اس کا پورا پلان نہیں کیا ہے؟ تو کس طرح سے وہ پنچایتوں کو اور دیگر لوگوں کو اس میں انوولو کریں گے کیوں کہ میرے خیال سے جتنی ایجنسیز کو اس میں انوولو کیا جائے گا، اتنی ہی زیادہ اور کرپشن بڑھنے کے چانسز ہیں آج کے زمانے میں۔

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, हमने तो सिर्फ तो NCAER की सिफारिशें हैं, उनकी जानकारी दी है, लेकिन क्या हम तय करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी नीतियों को बदलेंगे, यह तो समय ही बताएगा क्योंकि हमें सबसे पहले राय-मश्विरा लेना चाहिए और इस काम में हम लगे हुए हैं। यह जन केरसीन परियोजना तो सिर्फ डेढ़ महीने पुरानी है और जहां हम सोच रहे थे कि इस पायलट प्रोजेक्ट को 6 महीने चलाएं, मुझे अभी भी लग रहा है कि इसे कुछ और महीने चलाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जिस पैमाने पर हमें इसको चलाना चाहिए था, मुकम्मिल तौर पर हम अब इसे अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं। वह भी करना है और कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि इस जन केरसीन परियोजना का इस्तेमाल हो, उनमें से एक राज्य मेरा अपना तमिलनाडु भी है।

श्रीमती मोहसिना किदवई: मान्यवर, मेरा दूसरा सप्लिमेंट्री। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय सभापति जी, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय से इस नाते से प्रश्न करना चाहता हूं कि शायद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य दो हैं- एक तो जो वंचित लोग हैं, उनको ठीक दाम पर केरसीन मिल जाए, दूसरे, केरसीन का दुरुपयोग निश्चित रूप से मिलावट के लिए न हो। क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि जो सबसिडी आप दे रहे हैं, वह 8 रुपए प्रति लीटर है, वह आप उन वंचित लोगों को कैश में दे दीजिए? केरसीन को ओपन कर दीजिए। आप जो करेंगे उससे दर्द बढता गया, ज्यों-ज्यों दवा की, यह बात हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है आपसे। ...**(व्यवधान)**...

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, इस सुझाव पर मैं विचार करने के लिए तो जरूर तैयार हूं, लेकिन गलती यह रही है कि पिछले 50 सालों में किसी ने वैज्ञानिक तरीके से यह नहीं देखा कि केरसीन की मांग इस देश में क्या है, अलग-अलग आर्थिक वर्गों की मांग क्या है, हर वर्ग के लिए किस दाम को हम सही दाम कह सकते हैं और इस तरह से इन आर्थिक अवसरों का इस्तेमाल करते हुए यह जो डाइवर्ज़न होता है, उसको कम करने का भी प्रयास करें।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, इस पर डिस्कशन करा दीजिए। Sir, on Kerosene and LPG, there should be discussion in this House. Sir, a Calling Attention is with you on this subject...(*Interruptions*)...Sir, already a Calling Attention has been given ...(*Interruptions*)...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, may I just say one thing? I would very greatly welcome a detailed discussion on both, kerosene and LPG because, we need the advice of the House in coming to a conclusion in respect of a policy...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ठीक है, इस पर डिस्कशन करवा देंगे, अभी किसी सप्लीमेंट्री की आवश्यकता नहीं है।

Employees for ATR Operations

*84. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds for operation of ATR (Avion-de-Transport regional) flights were raised from the North Eastern States;

(b) the total strength of employees for ATR operations in North Eastern Region out of which how many are from North Eastern States; and

(c) whether Government propose to give more employment opportunities to the people from North Eastern Region in view of un-employment situation there?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (SHRI PREM CHAND GUPTA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

(a) No, Sir. However, North Eastern Council is providing Rs. 35.00 crores per annum for 5 years (Rs. 175.00 Crores) starting from 2002-03, to Alliance Air, for operation of ATR services to improve the air connectivity in the North Eastern Region.